

न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 56 / बी-121 / 2015-16

: आदेश ::


(आज दिनांक 31/05/2016 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोण्डवा के माध्यम से तहसीलदार सोण्डवा का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 19.3.2016 को ग्राम उमराली तहसील सोण्डवा में सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल मनीषा पिता सवलिया जाति भिलाला उम्र 04 वर्ष निवासी ग्राम वलवई को आर्थिक अनुदान राशि 7500/- स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी के अभिमत से सहमत होकर घायल के निकटतम वारिशान में उसके पिता सवलिया पिता दशरिया जाति भिलाला निवासी वलवई तहसील सोण्डवा को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/ एफ-20-21/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 7500/- (सात हजार पाँच सौ रूपये) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या -01-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।



(शेखर वर्मा)
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर दिनांक.....31/5/2016

पृ0क/ 417/रीडर/2016
प्रतिलिपि:-

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर। (संलग्न बैंक खाते की छायाप्रति)
- 4 प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कार्यालय अलीराजपुर की ओर अपलोड हेतु।
- 5 सहायक जनसंपर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोण्डवा ।
- 5 तहसीलदार तहसील सोण्डवा ।
- 6 संबंधित सवलिया पिता दशरियाजाति भिलाला निवासी सोण्डव तहसील सोण्डवा जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।


कलेक्टर
जिला अलीराजपुर